

⇌ History ⇌

⇌ भारतीय संविधान सभा ⇌

⇒ देशी रियासते ⇒ जहाँ राजा-महाराजा का शासन था पर control
Princely States अंग्रेजों का

⇒ निर्वाचन संपन्न होने से पूर्व देशी रियासतों द्वारा निर्वाचन का
बहिष्कार किया गया। → 93 seats X (खाली)

↳ Total seats निर्वाचन :- 296 के
लिए

⇒ 1946 = संविधान सभा के लिए election
↳ July

↓
96 seats

⇒ * निर्वाचन के पश्चात् परिणाम की घोषणा :-

↳ 208 INC [Indian national congress]

• 73 Muslim League

• 15 seats

↳ 7 सीट छोटे समूह को

→ 8 सीट निर्दलीय सदस्य [Independent]

जो किसी भी राजनीतिक दल
[Political Party] से नहीं होते।

→ निर्वाचन के परिणाम के बाद मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचन का बहिष्कार [Boycotted] किया गया।

→ संविधान सभा का गठन - **6 Dec 1946**

संविधान का निर्माण Making of Constitution

↳ संविधान सभा

* संविधान सभा की प्रथम बैठक = **9 Dec 1946**

↳ अध्यक्ष [Chairman] = डा० सच्चिदानंद सिन्हा

→ स्थान = नई दिल्ली

→ कुल सदस्य = 211

↓
अस्थायी अध्यक्ष
[Ad hoc chairman]

⇒ आचार्य जे० बी० हूपलानी के कहने पर।

* IInd Meeting ⇒ **11 Dec 1946**

↳ अध्यक्ष ⇒ डा० राजेन्द्र प्रसाद [स्थायी Permanent]

→ उपाध्यक्ष [Vice President] ⇒
• एच० सी मुखर्जी
• बी० टी० कृष्णामाचारी

→ संवैधानिक सलाहकार ⇒ वी० एन० राव
[Constitutional Advisor]

* IIIrd Meeting ⇒ **13 Dec 1946**

→ इस बैठक का आरंभ 'उद्देश्य प्रस्ताव' के साथ हुआ।

→ पेश [Presented by] ⇒ प० जवाहर लाल नेहरू, संविधान सभा के सामने

→ स्वीकार [Accepted] ⇒ संविधान सभा द्वारा **22 Jan 1947**

ROJGAR WITH ANKIT

- उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? \Rightarrow प्रस्तावना [Preamble]
What is objective Resolution \rightarrow Source है [स्रोत]

- \Rightarrow बी. एन. राव - संविधान सभा ने एक जिम्मेदारी दी -
 \rightarrow संविधान का प्रथम प्रारूप [Draft] तैयार करने की।
[किसी चीज को गठगुप्त तैयार करना]
 \rightarrow प्रारूप [रूपरेखा] तैयार \rightarrow
Oct 1947

\Rightarrow Articles - 395 होने चाहिए

\Rightarrow Schedules - 13 [अनुसूचियां] - होने चाहिए

\div प्रारूप: पर विचार करने के लिए "प्रारूप समिति" का गठन
 \downarrow [Drafting Comm.]
* गठन = 29 Aug. 1947

* अध्यक्ष :- डा. बी. आर. अंबेडकर

* अन्य सदस्य :- 6 \rightarrow Total Members = 7

1. के. एम. मुखर्जी

2. मौ. सादुल्ला

3. एन. गोपालस्वामी आयंगर

4. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर

कुछ समय बाद हट जाते हैं। \leftarrow 5. बी. एल. मित्र [एन. माधव राव] \rightarrow बी. एल. के स्थान पर

6. डी. पी. खेतान [टी. टी. कृष्णामाचारी]

\downarrow
मृत्यु हो जाती है।

\Rightarrow पहली रिपोर्ट - 13 Feb 1948 को संविधान सभा को दी

Art. - 315 होने चाहिए

Schedules - 8 होने चाहिए

\Rightarrow अंतिम रिपोर्ट - 16 Oct. 1948 को संविधान सभा को दी